<u>न्यायालयः मानवेंद्र सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर</u>

प्रकरण क्रमांक एससी एनआईए 139/2024

उपेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र श्री हाकिम सिंह भदौरिया, आयु 40 वर्ष, व्यवसाय– ठेकेदारी, निवासी– ए/38, आर जे पुरम, भिण्ड रोड, ग्वालियर, म.प्र.

परिवादी

बनाम

सुनील शर्मा पुत्र श्री कैलाश नारायण शर्मा, आयु 55 वर्ष लगभग, व्यवसाय– व्यापार एवं प्रोपर्टी डीलिंग, निवासी– 29/बी, दीप फार्म हाउस, एयरपोर्ट रोड, भोपाल, म.प्र.

अभियुक्त

19-08-2025

परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा ने उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई आवेदन पेश किया। प्रकरण सुनवाई में लिया गया।

परिवादी सहित श्री राजकुमार शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता श्री दीपक सारडा उपस्थित।

उभयपक्ष ने व्यक्त किया कि उनके मध्य आपस में राजीनामा होने की संभावना है, अतः प्रकरण मीडिएशन कार्यवाही हेतु रैफरल आदेश सहित प्रेषित किया जावे।

प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्ति हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्ति हेतु कुछ समय पश्चात पेश हो।

(मानवेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी
ग्वालियर (म.प्र.)

पुनश्चः–

उभयपक्ष पूर्ववत।

प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्ति हेतु नियत है।

मीडिएशन रिपोर्ट सफल टीप के साथ प्राप्त।

इसी प्रक्रम पर परिवादी की ओर से धारा 147 एनआई एक्ट का आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त आवेदन पर परिवादी अधिवक्ता को सुना गया।

इस आदेश द्वारा परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 147 एनआई एक्ट का निराकरण किया जा रहा है।

परिवादी अधिवक्ता द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य सौहार्दपूर्ण रूप से परिवाद पत्र में वर्णित चैक की राशि के संबंध में राजीनामा हो गया है। अब परिवादी की अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत शेष नहीं रही है, जिस कारण से परिवादी अभियुक्त के विरुद्ध उक्त परिवाद पत्र को नहीं चलाना चाहता है और इसी स्तर पर प्रकरण समाप्त करना चाहता है। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रकरण को इसी स्टेज पर समाप्त कर न्यायशुल्क वापस किए जाने का निवेदन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि हस्तगत प्रकरण अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन से उभयपक्ष के मध्य न्यायालय से बाहर राजीनामा हो जाना तथा विवादित चैक से संबंधित संपूर्ण विवाद समाप्त हो जाना दर्शित होता है तथा परिवादी स्वयं प्रकरण को आगे संचालित नहीं करना चाहता है।

न्यायालय उभयपक्ष द्वारा राजीनामा स्वेच्छा से किये जाने के तथ्य से संतुष्ट है।

अभियुक्त के विरूद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि होना अभिलेख में दर्शित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का भी कोई अन्य कारण प्रकरण में परिलक्षित नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा किए जाने की परिस्थिति को देखते हुए न्यायदृष्टांत **दामोदर एस प्रभु विरूद्ध सय्यद बाबा लाल ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 1907** एवं न्याय दृष्टांत **मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विरूद्ध प्रतिक जैन एवं एक अन्य, (2014)10 एस.सी.सी. 690** के आलोक में प्रकरण का निराकरण राजीनामा के आधार पर होने को देखते हुए न्यायहित में चैक राशि का एक प्रतिशत व्यय आरोपी द्वारा जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण ग्वालियर में जमा करने की स्थिति में अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत होता है। व्यय राशि अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमा की गई, जिसकी रसीद प्रकरण में संलग्न की गई।

विचारोपरांत उभयपक्ष के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने एवं परिवादी द्वारा परिवाद निरस्त किए जाने के निवेदन के परिणामस्वरूप परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवादपत्र अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम को उक्त अधिनियम की धारा 147 के तहत शमित किया जाता है।

अभियुक्त **सुनील शर्मा पुत्र श्री कैलाश नारायण शर्मा, आयु 55 वर्ष लगभग, व्यवसाय– व्यापार एवं प्रोपर्टी डीलिंग, निवासी– 29/बी, दीप फार्म हाउस, एयरपोर्ट रोड, भोपाल, म.प्र.** को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त की उपस्थिति बाबत जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण का निराकरण राजीनामा के आधार पर होने से परिवादी परिवादपत्र में भुगतान किये गये न्यायशुल्क को वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में जिला कलेक्टर स्टाम्प को परिवादी के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण आवश्यक प्रतिपूर्ति पश्चात विहित समयावधि में अभिलेखागार दाखिल किया जावे।

(मानवेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी
ग्वालियर (म.प्र.)

MANVENDRA SINGH YADAV

Digitally signed by MANVENDRA SINGH YADAV
Date: 2025.08.19 17:46:06 +0530